

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
(जुलाई सत्र, 2024)

(01 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

वर्ग-1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री			
श्रम	---			
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री	01.07.2024	03.06.2024	04.06.2024
सहकारिता	---	08.07.2024	10.06.2024	11.06.2024
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री	15.07.2024	17.06.2024	18.06.2024
आयुष	---			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)	---			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)	राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-2				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
गृह	---			
जेल	---			
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	---			
जनसम्पर्क नर्मदा घाटी विकास	---			
विमानन	---	02.07.2024	04.06.2024	05.06.2024
खनिज साधन	---	09.07.2024	11.06.2024	12.06.2024
लोक सेवा प्रबंधन	---	16.07.2024	18.06.2024	19.06.2024
प्रवासी भारतीय	---			
विधि एवं विधायी कार्य	---			
आनंद	---			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	---			
वित्त	उप मुख्यमंत्री, वित्त			
वाणिज्यिक कर	---			
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	---			
महिला एवं बाल विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	महिला एवं बाल विकास मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री			
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग			
वर्ग-3				
*लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			
राजस्व	राजस्व मंत्री			
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	03.07.2024	05.06.2024	06.06.2024
परिवहन	परिवहन मंत्री	10.07.2024	12.06.2024	13.06.2024
स्कूल शिक्षा	---	18.07.2024	19.06.2024	20.06.2024
संस्कृति	राज्य मंत्री, संस्कृति			
पर्यटन	---			
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	---			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-4				
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री			
संसदीय कार्य	---"---			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	04.07.2024	06.06.2024	07.06.2024
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	11.07.2024	13.06.2024	14.06.2024
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	19.07.2024	20.06.2024	21.06.2024
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	---"---			
वर्ग-5				
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री			
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	---"---			
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	---"---			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	05.07.2024	09.06.2024	10.06.2024
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री	12.07.2024	13.06.2024	14.06.2024
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	---"---			
वन	वन मंत्री			
पर्यावरण	---"---			
अनुसूचित जाति कल्याण	---"---			
पशुपालन एवं डेयरी	राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी			
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास			

भोपाल :
दिनांक : 30.05.2024

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट -

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना प्रश्न प्रपत्र (षोडश विधान सभा) शृंखला 'घ' के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें। पूर्व शृंखला के प्रश्न प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग के लिए नियत है।
4. ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।
5. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 30, दिनांक 12 फरवरी, 2024 के द्वारा "चिकित्सा शिक्षा विभाग" का लोप कर "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग" किया गया है।

श्री. वि. प्र.
सचिव

सचिवालय

30 02 2024

श्री. वि. प्र.